



प्रेस नोट- थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक – 15.02.2026

“थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को 06 किलो डोडा पोस्ट व 02 अदद मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 15.02.2026 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कसारी पेट्रोल पम्प से पूर्व, कोला पुल की ओर जाने वाली सड़क से दाहिनी ओर नीचे जाने वाले कच्चे मार्ग पर समय लगभग 00:15 बजे 02 अभियुक्तों को 06 किलोग्राम डोडा पोस्ट एवं 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 69/2026 धारा 8/15/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अरविन्द सक्सेना पुत्र रामदयाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम चौरा बगरखेत थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर
अखिलेश राठौर उर्फ नन्हे पुत्र सेवकराम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम जरीयनपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

कसारी पेट्रोल पम्प से पूर्व, कोला पुल की ओर जाने वाली सड़क से दाहिनी ओर नीचे जाने वाले कच्चे मार्ग, दिनांक 15.02.2026 समय 00.15 बजे

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 69/2026 धारा 8/15/29 NDPS ACT

अभियुक्त अरविन्द सक्सेना का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 210/2024 धारा 8/15 NDPS थाना कलान जिला शाहजहाँपुर
2. 69/2026 धारा 8/15/29 NDPS ACT थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त अखिलेश राठौर का अपराधिक इतिहास:-

1. 69/2026 धारा 8/15/29 NDPS ACT थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण :-

- 06 किलो डोडा पोस्ट
- 01 मोबाइल फोन सेमसंग Galaxy M14
- 01 मोबाइल फोन ITEL A90
- 60 रुपये नकद

पूछताछ अभियुक्त:-

अरविन्द ने पूछने पर बताया कि "हम दोनों बेरोजगार हैं, मिलकर डोडा पोस्त बेचने का काम करते हैं और जो भी कमाई होती है, उसे आपस में बाँट लेते हैं। इसी से अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। मैं वर्ष 2024 में थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल भी जा चुका हूँ। यह डोडा पोस्त हमने दिनांक 13.02.2026 की शाम को गंगा चौराहा, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर से एक डीसीएम चालक से 5,000 रुपये में खरीदा था। हम इसे अल्लाहगंज रोड पर स्थित होटल/ढाबों पर ट्रक चालकों को फुटकर में बेचने के लिए ले जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 श्री सकतावत सिंह थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
3. हे0का0 345 सौरभ कुमार थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
4. हे0का0 371 मो0 उवेश थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
5. का0 1994 सुबोध कुमार थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर